न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम** आर.ए.एस.

1 प्र. सं. 100/2022 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 06.05.2022
G.C.M.S. NO:-2022/100

गुड्डी पुत्री शंकरलाल पत्नि भैरूसिंह राजपूत उम्र 46 वर्ष, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 शांतिलाल पिता रामलाल बंजारा उम्र वयस्क, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

2 ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

3 ग्राम पंचायत आक्या, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 19 दिनांक 30.08.2017 ग्राम पंचायत आक्या

2 प्र. सं. 102/2022 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 06.05.2022
G.C.M.S. NO:-2022/102

मोहनदास पिता जगन्नाथ उम्र वयस्क, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 भैरूलाल पिता रामलाल बंजारा उम्र वयस्क, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

2 ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

3 ग्राम पंचायत आक्या, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

.....विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 21 दिनांक 30.08.2017 ग्राम पंचायत आक्या

3 प्र. सं. 104/2022 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 06.05.2022
G.C.M.S. NO:-2022/104

मोहनदास पिता जगन्नाथ उम्र वयस्क, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 किशोरलाल पिता रामलाल बंजारा उम्र वयस्क, निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

2 ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

3 ग्राम पंचायत आक्या, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 20 दिनांक 30.08.2017 ग्राम पंचायत आक्या

उपस्थिति : 1–श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता निगराकार

निर्णय

दिनांक 09.04.2025

उपरोक्त सभी प्रकरण एक ही प्रकृति के होने से एक साथ एक ही निर्णय द्वारा निर्णित किये जा रहे हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक प्रकरण की पत्रावली में संलग्न की जावे। प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत आक्या द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा न्याय, नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 1 के पिता ग्राम पंचायत आक्या में कार्यरत थे जिससे उन्होनें अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर अपने तीनों पुत्रों के नाम पर अवैधानिक तरीके से पट्टे जारी करवा लिये जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकारगण को सूचना पत्र तामील होने के बावजूद गैर निगराकार उपस्थित नहीं हुए। अतः गैर निगराकारगण के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से गैर निगराकारगण की अनुपस्थिति रेकार्ड की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति भदेसर ने उक्त पट्टों से संबंधित अभिलेख जिनमें पट्टा बुक, बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर एवं केश-बुक प्रस्तुत की जबकि पट्टों से संबंधित मिसलें प्रस्तुत नहीं की गई। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुनी गई एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि ग्राम पंचायत आक्या ने गैर निगराकार संख्या 1 को न्याय, नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 1 के पिता स्वयं ग्राम पंचायत आक्या में कार्यरत थे जिन्होनें अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर अपने तीनों पुत्रों को नियमों के विपरीत अलग-अलग पट्टे जारी करा दिये। जिस जगह का गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है वहां निगराकार का कई वर्षों से कब्जा होकर उक्त भूखण्ड का निगराकार उपयोग-उपभोग कर रहा है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत आक्या ने गैर निगराकार संख्या 1 को नियम 157 (2) के तहत पुराने निर्मित आवासों के कब्जे के तहत पट्टा जारी किया है जबकि उक्त विवादित पट्टा स्थल पर कोई आवास निर्मित नहीं होकर खाली भूखण्ड है जो कि निगराकार के कब्जे में वर्षों से चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व तीन पंचों की कमेटी गठित नहीं की, मौका निरीक्षण नहीं किया ना ही मिसल कायम की और ना ही उजरदारी नोटिस जारी किया। गैर निगराकार संख्या 1 के पिता ने अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर गुपचुप तरीके से सारी कार्यवाही करा अपने पुत्रों के नाम पट्टा जारी करा लिया जो अवैधानिक एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत आक्या द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टों से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख तलब करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति भदेसर द्वारा उक्त पट्टों से संबंधित मिसलें प्रस्तुत नहीं की गई और पट्टा बुक, केश-बुक एवं बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर ही प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर वर्ष 2016-17 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 30.08.2017 के प्रस्ताव संख्या 04 से गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में सीधे ही रियायती दर से भूखण्ड आवंटन की स्वीकृति सर्व-सम्मति से जारी करने का अंकन है इसके अतिरिक्त उक्त पट्टे जारी करने संबंधित ओर कोई कार्यवाही अंकित नहीं है।

Web Copy - Not Official

पट्टा बुक संख्या 18 जिससे गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टे जारी किये गये हैं का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टे जारी किये गये है वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (2) के तहत प्रारूप 23–ख में जारी किये गये हैं जो कि आबादी भूमि में व्यक्तियों के कब्जें में पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत जारी किये जाते हैं जबकि बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर की बैठक दिनांक 30.08.2017 के प्रस्ताव संख्या 04 अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 को रियायती दर के पट्टे जारी किये जाने का अंकन है जो कि नियम 158 के तहत प्रारूप 23–ग के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 1 को गलत प्रपत्र में पट्टे जारी किये गये हैं।

पट्टे संबंधित रेकार्ड/अभिलेख तलब करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर द्वारा मिसल नहीं भिजवाना इस तथ्य को बल देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रावली/मिसल कायम ही नहीं की गई। पंचायत के सदस्यों/नियुक्त पंचों द्वारा पर्चा मौका, निरीक्षण एवं नक्शा भी नहीं बनाया गया, न ही रियायती दर पर आवंटन किये जाने के संबंध में आपत्तियां आमन्त्रित की गयी है। इस प्रकार पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई है।

साथ ही प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि गैर निगराकार संख्या 1 भैरूलाल पिता रामलाल बंजारा (प्र.सं. 102/2022) को पूर्व में भी दिनांक 16.07.2012 को रियायती दर पर पट्टा संख्या 002 जारी किया गया है जिसकी अलग से निगरानी (प्र.सं. 101/2022) इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत आक्या द्वारा बिना जांच पड़ताल किए, बिना पत्रावली कायम किए, पंचायती राज नियमों की पालना किए बगैर गैर निगराकार संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से विधि–विरूद्ध पट्टे जारी किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है। निष्कर्षतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानियां स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत आक्या, पंचायत समिति, भदेसर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 30.08.2017 को जारी पट्टा क्रमांक क्रमशः 19, 21 एवं 20 निरस्त किये जाते हैं। निर्णय की प्रति सभी संबंधित पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)

Web Copy - Not Official